



# माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

**माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षा-2025 संवीक्षा/आपत्ति/उत्तर-पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने हेतु व माध्यमिक परीक्षा के गणित विषय में पुनः जांच (Re-Examination) के सम्बन्ध में परीक्षार्थियों के मार्गदर्शनार्थ नियम/निर्देश**

**(01) आवेदन करने व संवीक्षा प्रक्रिया शुल्क सम्बन्धी :-**

1. अभ्यर्थी बोर्ड वेबसाइट [www.rajeduboard.rajasthan.gov.in](http://www.rajeduboard.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध संवीक्षा आवेदन-पत्र निकटतम ई-मित्र केन्द्र/स्वयं के स्तर पर परिणाम घोषणा तिथि से 07 दिवस की अवधि में सामान्य शुल्क रूपये 400/- प्रति विषय/प्रति उत्तर-पुस्तिका एवम् उसके पश्चात् आगामी 03 दिवसों में विलम्ब शुल्क रूपये 400/- (कुल रूपये 800/- विलम्ब शुल्क सहित) प्रति विषय/प्रति उत्तर पुस्तिका के साथ नियत तिथि तक (स्वप्रमाणित आई.डी. अपलोड कर) ऑनलाईन निर्धारित शुल्क जमा कर अभ्यर्थी स्वयं के स्तर/ई-मित्र केन्द्र पर बोर्ड वेबसाइट पर 'SCRUTINY-2025' लिंक पर आवेदन कर सकता है। सीधे आवेदन करने पर शुल्क नेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड/ऑनलाईन तथा ई-मित्र से आवेदन करने पर शुल्क (सेवा शुल्क सहित) ई-मित्र पर जमा कराना होगा। परीक्षार्थी स्वयं के लिये ही आवेदन करें, अन्य किसी के लिये आवेदन करना दण्डनीय अपराध माना जावेगा। डाक द्वारा अथवा ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत बने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनियम 1957 के अध्याय 16 नियम (13) (5) के प्रावधान अनुसार संवीक्षा में उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनःजांच (Re-examination) करना समाविष्ट नहीं है। संवीक्षा के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका में प्रदत्त अंकों के योग में भिन्नता, अन्दर-बाहर (केजिंग) में भिन्नता, योग में त्रुटि, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिये गये हों, उत्तर पुस्तिका/अंकतालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता आदि त्रुटियों का निवारण करने की दृष्टि से की जाती है। परन्तु उक्त विनियम में संशोधन कर वर्ष-2025 की माध्यमिक परीक्षा के गणित विषय में पुनःजांच (Re-examination) कराने का प्रावधान किया गया है।
3. आवेदन-पत्र के साथ परीक्षार्थी को स्वयं की प्रमाणित आई.डी. आवश्यक रूप से अपलोड करनी होगी।
4. सामान्य शुल्क रू. 400/- एवम् विलम्ब शुल्क सहित रू. 800/- प्रति विषय उत्तर-पुस्तिका शुल्क निर्धारित है। ई-मित्र से आवेदन करने पर शुल्क (सेवा शुल्क सहित) ई-मित्र पर जमा कराना होगा।
5. परीक्षार्थियों के सुविधार्थ/ध्यानार्थ परिणाम घोषणा के बाद निर्धारित तिथियां राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों एवम् बोर्ड वेबसाइट पर प्रकाशित करवाई जाती है।
6. जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा निहित है, उनमें परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा की भी संवीक्षा/उत्तर-पुस्तिका प्राप्त कर सकता है। अतः परीक्षार्थी आवेदन करने से पूर्व ध्यानपूर्वक विषय/सैद्धान्तिक/प्रायोगिक का चयन निर्धारित कॉलम में आवश्यक रूप से करें। एक बार आवेदन करने के बाद परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।
7. परीक्षार्थी एक अथवा अधिक/सभी विषयों के लिये आवेदन कर सकता है, परन्तु एक परीक्षार्थी को एक ही अवसर प्राप्त होगा। अतः एक ही आवेदन में वांछित सभी विषय अंकित करें।
8. परीक्षार्थी आवेदन करते समय अंकित प्रविष्टियों की ध्यानपूर्वक जांच कर लें। विशेष रूप से विषय/सैद्धान्तिक/प्रायोगिक/ई-मेल आई.डी., मोबाईल नम्बर आदि परीक्षार्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक रूप से भरें, एक ई-मेल आई.डी तथा एक मोबाईल नम्बर का ही पंजीयन किया जायेगा। ई-मेल/मोबाईल नम्बर में त्रुटि होने पर गलत स्थान पर परिणाम की सूचना व स्कैन उत्तर-पुस्तिका पहुंच सकती है, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। बोर्ड आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर उत्तर-पुस्तिकाओं की संवीक्षा करता है एवम् उत्तर-पुस्तिका की स्कैन प्रति व परिणाम की सूचना प्रेषित करता है। अतः आवेदित विषय व वांछित सूचना की जांच भली भांति कर लें।

9. संवीक्षा उपरान्त आवेदित विषय/विषयों में अंक परिवर्तन होने अथवा नहीं होने किसी भी स्थिति में संवीक्षा प्रक्रिया शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।

**(02) आवेदन करने के पश्चात् प्रक्रिया :-**

1. परीक्षा/वर्ग के लिये निर्धारित विलम्ब शुल्क की अंतिम तिथि के बाद आवेदित सभी परीक्षार्थियों के डाटा क्रमबद्ध कर प्रत्येक परीक्षार्थी को पंजीकरण संख्या का आवंटन कर आवेदन पत्र में अंकित मोबाईल पर पंजीकरण संख्या एवम् आवेदित विषयों का नाम सूचित किया जावेगा। इससे परीक्षार्थी आश्वस्त हो सकेगा कि उसका आवेदन पत्र बोर्ड को प्राप्त हो गया है एवम् प्रक्रियाधीन है।
2. आवेदन पत्रों का निस्तारण परीक्षावार/संकायवार/क्रमानुसार किया जाता है।
3. बोर्ड स्तर पर वांछित कार्यवाही उपरान्त आवेदन पत्र का निस्तारण होने के बाद संवीक्षा परिणाम यथा Change अथवा No Change की सूचना मय उत्तर-पुस्तिका स्कैन कॉपी के साथ बोर्ड वेबसाईट पर 'SCRUTINY-2025' लिंक पर अपलोड की जाकर इसकी सूचना परीक्षार्थी को SMS & E-mail पर भी दी जायेगी एवम् 'Login Id' व 'Password' भेजा जावेगा।
4. संवीक्षा के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका में प्रदत्त अंकों के योग में भिन्नता, अन्दर-बाहर (केजिंग) में भिन्नता, योग में त्रुटि, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिये गये हों, उत्तर पुस्तिका/अंकतालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता आदि त्रुटियों का निवारण किया जाएगा।
5. उक्त Login Id/Password के आधार पर 05 दिवस के भीतर वेबसाईट पर 'SCRUTINY-2025' लिंक से अपनी उत्तर-पुस्तिका देख/डाउनलोड/ प्रिन्ट कर सकता है।
6. परीक्षार्थी आवश्यक रूप से 05 दिवस में उत्तर-पुस्तिका देख लें। 05 दिवस पश्चात् उत्तर-पुस्तिका वेबसाईट से हटा ली जायेगी जिसके लिए परीक्षार्थी/आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

**(03) उत्तर-पुस्तिका/परिणाम प्राप्त होने के बाद आपत्ति एवं माध्यमिक गणित विषय में पुनः जांच के सम्बन्ध में -**

1. बोर्ड द्वारा नियमान्तर्गत उत्तर-पुस्तिकाओं की संवीक्षा करवाकर यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसका निस्तारण करने के बाद ही उत्तर-पुस्तिका की स्कैन कॉपी भेजी जाती है।
2. यदि उत्तर-पुस्तिका प्राप्त होने के पश्चात् परीक्षार्थी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो उसे प्राप्त SMS & E-mail प्रेषण के 05 दिवस में निकटतम ई-मित्र अथवा स्वयं के स्तर पर आपत्ति के निर्धारित प्रपत्र में मय विवरण यथा विषय का नाम, प्रश्न संख्या, पृष्ठ संख्या व आपत्ति के संबंध में प्रमाण सहित निर्धारित आपत्ति शुल्क रुपये 100/- प्रति विषय के साथ ऑनलाईन आवेदन कर दें। निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। आपत्तियाँ ऑनलाईन ही स्वीकार होंगी। ऑफलाईन/हार्डकॉपी में आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। शुल्क बिन्दु 01 (1) की प्रक्रियानुसार जमा कराया जा सकता है। एक से अधिक विषय होने पर भी एक बार में आवेदन करना होगा। एक से अधिक बार आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
3. वर्ष-2025 में माध्यमिक परीक्षा के गणित विषय में पुनःजांच (Re-Examination) का प्रावधान किया गया है। परीक्षार्थी गणित विषय में संवीक्षा उपरान्त आपत्ति/पुनःजांच (Re-Examination) करवा सकता है। आपत्ति शुल्क रुपये 100/- प्रति विषय तथा पुनःजांच (Re-Examination) शुल्क रुपये 100/- प्रति प्रश्न रहेगा। पुनःजांच (Re-Examination) हेतु आवेदन पत्र में प्रश्न संख्या व पृष्ठ संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करें। संवीक्षा परिणाम के SMS/E-mail भेजने की तिथि से 05 दिवस की निर्धारित अवधि में ही आपत्ति/पुनःजांच (Re-Examination) हेतु ऑनलाईन ही आवेदन किये जा सकेंगे। ऑफलाईन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
4. परीक्षार्थी की आपत्ति प्राप्त होने के बाद प्राप्त आपत्ति को आपत्ति निवारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, आपत्ति निवारण समिति द्वारा संवीक्षा नियमान्तर्गत की गई अनुशंषा के आधार पर आपत्ति का निवारण किया जाकर परीक्षार्थी को ऑनलाईन सूचित किया जावेगा, जो अंतिम होगा।
5. विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर यह देखा गया है कि परीक्षार्थी अपने अंकों में वृद्धि की अपेक्षा में तुरन्त आपत्ति प्रस्तुत कर देता है, परन्तु विगत वर्षों में ऐसी आपत्तियों पर आपत्ति निवारण समिति के विश्लेषण के आधार पर अधिकांश आपत्तियाँ खारिज की गईं। अतः परीक्षार्थी

अंको में वृद्धि की सम्भावना मात्र पर आपत्ति नहीं करे वास्तविक त्रुटि एवम् तथ्यों के आधार पर ही आपत्ति प्रस्तुत करें ताकि बोर्ड एवम् उनका अनावश्यक समय श्रम व धन व्यर्थ नहीं हो।

6. माध्यमिक परीक्षा के गणित विषय की पुनःजांच के पश्चात् बोर्ड द्वारा प्रदत्त अंक ही अन्तिम एवं मान्य होंगे, इसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं होगी।
7. संवीक्षा/आपत्ति/पुनःजांच (Re-examination) में अंकों में वृद्धि होने पर अंकों में वृद्धि की जाएगी अथवा अंकों में कमी होने पर अंकों में कमी भी की जाएगी एवं तदनुसार जारी अंकतालिका मान्य व प्रभावी होगी।

**(04) आवेदकों/अभिभावकों से अपील :-**

1. बोर्ड द्वारा छात्रों के भविष्य/अग्रिम प्रवेश आदि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु विशेष प्रयास किये जाते हैं।
2. बोर्ड द्वारा परिणाम घोषित किये जाने के बाद तथा एक साथ बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। यह अत्यन्त श्रम साध्यपूर्ण कार्य है, इनके निस्तारण में सभी सार्थक प्रयासों के बाद भी यथोचित समय लगना स्वाभाविक है।
3. अतः परीक्षार्थियों/अभिभावकों से अपील है कि उनका नम्बर आने तक धैर्य बनाये रखें। अनावश्यक जल्दी नहीं करें व अनावश्यक फोन भी नहीं करें। बोर्ड विद्यार्थी हितों के प्रति सदैव चिंतित एवं संवेदनशील रहता है।
4. परीक्षार्थी अपने संवीक्षा आवेदन की वर्तमान स्थिति (Status) बोर्ड वेबसाईट पर "SCRUTINY-2025" लिंक पर पर देख सकते हैं।
5. परीक्षार्थी/अभिभावक अपने वर्तमान परिणाम को ही आधार मानकर अग्रिम कार्यवाही यथा प्रवेश/ परीक्षा आदि में प्रवेश लें। संवीक्षा आवेदन करने मात्र से यह नहीं माने कि उसके परिणाम में परिवर्तन हो जायेगा। उदाहरणार्थ यदि परीक्षार्थी के पूरक परीक्षा है तो वह पूरक परीक्षा की तैयारी कर निर्धारित तिथियों में आवेदन कर परीक्षा की तैयारी कर परीक्षा में प्रविष्ट हो। इसी प्रकार की कार्यवाही अनुत्तीर्ण अथवा अन्य में की जावे।
6. परीक्षार्थियों/अभिभावकों को यह भी जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि केवल नगण्य (अति न्यून) संख्या में अंकों/परिणाम परिवर्तन होते हैं।
7. परीक्षार्थी/अभिभावक को जानकारी के लिए यह भी सूचित किया जाता है कि संवीक्षा/आपत्ति/पुनःजांच (Re-examination) में अंकों में वृद्धि होने पर अंकों में वृद्धि की जाएगी अथवा अंकों में कमी होने पर अंकों में कमी भी की जाएगी एवं तदनुसार जारी अंकतालिका मान्य व प्रभावी होगी।
8. उपरोक्त के पश्चात भी किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु स्थापित नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 0145-2632068 पर कार्यालय समय/कार्य दिवसों में सम्पर्क करें। विशेष अनुरोध है कि बोर्ड के पास बड़ी संख्या में टेलीफोन आते हैं। अतः अनावश्यक टेलीफोन नहीं करें केवल अत्यावश्यक जानकारी हेतु ही टेलीफोन करें। अपने परिणाम की वर्तमान स्थिति (status) हेतु बोर्ड वेबसाईट "SCRUTINY-2025" लिंक पर समय-समय पर देखते रहें।

शुभकामनाओं सहित।

सचिव

सन्दर्भित वेबसाईट - 1. बोर्ड वेबसाईट	- <a href="http://www.rajeduboard.rajasthan.gov.in">www.rajeduboard.rajasthan.gov.in</a>
2. उत्तर-पुस्तिका लिंक	- "SCRUTINY-2025"
3. संवीक्षा नियंत्रण कक्ष	- 0145 - 2632068